कार्यालय, प्रधानाचार्य, महर्षिदेवरहाबाबास्वशासीराज्य चिकित्सामहाविद्यालय, देवरिया, उ0प्र0 274001
Office, Principal, MaharshiDevarha Baba Autonomous State Medical College, Deoria, UP-274001
Website: - mdbmc.in Tel.No- 05568297433 email: - mdbmc2022@gmail.com

पत्रांक / मे0का0दे0 / एस0आर0 / 2022–23 / दिनांक 10.03.2023

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक–मे0का0दे0 / 2021–22 / 1862, दिनांक–14.01.2022 के विज्ञप्ति द्वारा महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया हेतु विभिन्न विभागों में सीनियर रेजिडेन्ट में हुई नियुक्ति एवं उसके उपरान्त विभिन्न कारणों से हुई रिक्त पदों के सापेक्ष वेतनमान रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600 में वॉक इन इन्टरव्यू (Walk in Interview) के आधार पर **बाण्डधारक अभ्यर्थियों की तैनाती के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की अवधि तक** के लिए दिनाक 15.02.2023 को साक्षात्कार आयोजित किया गया था। चिकित्सा कार्यों का सुचारु रुप से संचालन हेतु उक्त साक्षात्कार में कमेटी की संस्तुति के आधार पर सीनियर रेजीडेन्ट इमरजेन्सी मेडिसिन विभाग में रिक्त सामान्य वर्ग के सापेक्ष **सहायक आचार्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, सामान्य वर्ग,** को कार्य करने हेतु के चयनित अभ्यर्थी की सूची विभागवार निम्नानुसार निर्गत की जा रही है–

क0सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	कटेगरी	आवंटित विभाग	मो0न0	ई–मेल
01	Dr. Shipra Kumari Pandey	Shri Varun Anand Srivastava	UR	OBG	9453362756	drshiprapandey1986@gmail.com

01. यह नियुक्ति शासनादेश संख्या–3126 / 71–3–10–सी0एम0यू0–133 / 08 दिनांक–07.09.2010 के अन्तर्गत देय नियमों एवं प्रविधानों जिसमें नियुक्ति अस्थाई एवं फिक्स (सीमित अवधि) अधिकतम एवं वर्ष की अवधि के लिये अनुमन्य है, के प्रविधानों तथा महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया सोसाइटी हेतु निर्धारित मेंमोरण्डम तथा बॉयलॉज के अन्तर्गत की जा रही है।
02. यह नियुक्ति 14.01.2023 से13/01/2024 तक के लिए की जा रही है। यह नियुक्ति अस्थाई एवं सीमित अवधि (टेन्योर) के लिए है, तथा किसी भी तरफ से एक माह की नोटिस अथवा एक माह के वेतन पर सेवा समाप्त की जा सकती है / छोड़ी जा सकती है।(The service are liable to be terminated either one month notice or one month salary on either side) नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर तथा शासन द्वारा आपके पद के सापेक्ष किसी अभ्यर्थी के चयन किये जाने पर आप की नियुक्ति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी। इसके लिए अलग से कोई आदेश / निर्देश की आवश्यकता नही होगी।
03. धारक को समय–समय पर विभागाध्यक्ष, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित अध्यापन, शोध एवं अन्य शैक्षणिक, चिकित्सकीय कार्यमे वर्तमान विभाग अथवा किसी दूसरे विभाग में योगदान देना होगा।
04. पदधारक को शासनादेश संख्या–85 / 2019 / 2625(1) / 71–2011 टी0सी0 दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में लेवल–11 रूपये वेतनमान रु0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 6600 एवं उस पर उत्तर प्रदेश द्वारा समय–समय पर देय अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगें।
05. पदधारक को किसी प्रकार की निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति नही होगी।
06. हड़ताल अथवा धरना प्रदर्शन में भाग लेने पर सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
07. बिना किसी सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने, लापरवाही अनुशासनहीनता करने तथा रोगियों के साथ दुर्व्यहार की शिकायत प्राप्त होने पर आपकी सेवायें बिना किसी सूचना / नोटिस अवधि के तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
08. सम्बन्धित अभ्यर्थी को पद पर योगदान से पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष निम्नलिखित प्रमाण–पत्र / घोषणा पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

I. भारतीय संविधान के प्रतिआस्था एवं अनुपालन के सम्बन्ध में शपथ पत्र।
II. स्थाई एवं स्थानीय निवास की सूचना।
III. दस रू0 के स्टांप पेपर पर यह घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि इस सत्र में एन0एम0सी0 द्वारा किसी अन्य मेडिकल कालेज में गये निरीक्षण में आप उपस्थित हुये है अथवा नही। यदि आपने निरीक्षण कराया है तो आपकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
IV. स्वास्थ्य परीक्षा में सफल होने पर मुख्य चिकित्साअधिकारी, देवरिया / चिकित्सा / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया सोसाइटी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र एवं नोटरी शपथ–पत्र।
V. राज्य अथवा केन्द्र सरकार की सेवा में कार्यरत किसी दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा पदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।
VI. सत्यापित समस्त प्रमाण–पत्रों की फोटो प्रतिलिपि तथा एक पासपोर्ट साइज फोटो एवं पैनकार्ड की छायाप्रति दो प्रतियों में संलग्न करना अनियार्य है।
VII. राजकीय चिकित्सा परिषद उ0प्र0 द्वारा प्रदत्त स्थायी पंजीयन प्रमाण–पत्र।

09. अनादेय पत्र प्राप्त करने तक के लिए अन्तिम एक माह ;30 दिन का वेतन रोक दिया जाएगा।
10. तैनाती की अवधि में सेवा समाप्त के लिए दोनों ओर से एक माह का नोटिस अथवा वेतन देकर सेवाये समाप्त की जा सकती है।
11- **शासन द्वारा यदि किसी अभ्यर्थी को बांड के अंतर्गत चयन कर भेजा जाता है तो यह नियुक्ति स्वत :ही समाप्त मानी जायेगी।**
12- विवाहित होने अथवा अविवाहित होने घोषणा पत्र। (यदि विवाहित होतो केवल एक जीवित पत्नी–पति होने का प्रमाण पत्र) सम्बन्धित अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे 07 दिन के भीतर महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया उ0प्र0 में उपस्थित होकर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें।

प्रधानाचार्य
महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

तद्दिनांक

पत्रांक / मे0का0दे0 / एस0आर0 / 2022–23 / 1674
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0, लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
03. वित्त नियंत्रक, महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
05. प्रभारी अधिकारी बेवसाइट, मेडिकल कालेज, देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज बेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
06. सम्बंधित विभागाध्यक्ष।
07. सूचना पट, कालेज।
08. गार्ड फाईल।

प्रधानाचार्य
महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।